

11/9/19

उत्तराखण्ड अधिवक्ता उप.

बास्ते जवाबदावा प्रति. सं.

14 व बास्ते इन्तज्जर प्रति. सं. 2 ता. 8 ता. 13

15 ता. 17 जवाबदावा विनांक 4/11/19 को पेश हो

सहायक सचिव एवं कार्यपालक दफ्तरीयक
(फास्ट टैक फलो दी)

19/9/19

निम्न लखन का प्रथमा पत्र पेश हुआ जिसे

स्वीकार किया जाकर निम्न लखन की गयी

पु. 5/1/17 वादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा

प्रार्थना पत्र 015 023/19 के पेश कर लक्षण

कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पक्षों व

कुटुंब के सदस्य है। वास्तव में वास्तव

जसकारण वादीगण व प्रतिवादीगण के पक्ष आपस में

झगड़ता से जगता है। वादीगण अब इस वाद को

ओर नहीं चलाय चाहते है। अतः प्रत्याहण का

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बाद वादीगण जरिफ प्रत्याहण

स्वीकार करवाया जावे

वादीगण स्वयं अस्मिता हुए निम्न अग्र

निम्न व एन्सास ओदेशिका पर किए गए व

पहचानकर्ता के रूप में अधिवक्ता गौरी के क्लाम

निर गए

जवाबदावा का अवलोकन किया गया कोद

अवलोकन वादी का प्रथमा पत्र 015 023/19 के

स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को जरिफ

प्रत्याहण स्वीकार करवाया जाता है।

जवाबदावा जरिफ प्रत्याहण स्वीकार की जाकर

केवल उक्त वेकट नम्बर से एक को वेकट

दमिल करवा दिया

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दफ्तरीयक
(फास्ट टैक फलो दी)

जगताराम
माही लाल
बलदेव राम
ओ.प. 5/19
Identified
[Signature]